न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 141/2024 एलआर एक्ट GCMS No. 2024/161

1. भंवरलाल पुत्र इमीलाल जाति विश्नोई साकिन चक 2 डी ओ (बी) तहसील सूरतगढ़।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार राजियासर तहसील सूरतगढ़।
2. गीता देवी पत्नी जयपाल जाति कुम्हार निवासी चक 2 डी ओ (बी) तहसील सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः विजय कुमार पारीक एवं अभिभाषक अपीलांट्स
संगीता गहलोत
गिरधारी लाल रामावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स नं 2

निर्णय

दिनांक 13.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 12.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1— वादग्रस्त भूमि चक 2 डीओ. (बी) के पत्थर नंबर 4/8 की 4.731 हैक्टयर भूमि अपीलांट की कब्जा काश्त भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़ ने अपीलांट की उक्त भूमि को नाजायज काश्त मानते हुए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत मालगुजारी का पचास गुणा तावान कायम कर काश्त की हुई फसल को कुर्क कर बेदखली के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 29.09.2022 के विरुद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 29.09.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करते हुए अपीलांट की अपील को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 12.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है वादग्रस्त भूमि चक 2 डीओ. (बी) के पत्थर नंबर 4/8 की 4.731 हैक्टयर भूमि अपीलांट की कब्जा काश्त भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़ ने अपीलांट की उक्त भूमि को नाजायज काश्त मानते हुए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत मालगुजारी का पचास गुणा तावान कायम कर काश्त की हुई फसल को कुर्क कर बेदखली के आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 22 की प्रोसिडिंग में किला नंबर का कोई हवाला ही नही है। यह कहीं भी अंकित नही किया गया कि अपीलांट ने किन किला नंबरों पर अतिक्रमण किया है। प्रक्रिया उप तहसीलदार द्वार प्रारम्भ की गई, मगर आदेश तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित किया गया हैं जो स्पष्टतया नियमों की अनदेखी की गई है। भूमि राजस्व विभाग की है एवं भूमि कॉलोनी एरिया में नही है इस कारण धारा 22 के तहत सिर्फ कॉलोनी एरिया की भूमि पर ही कार्यवाही की जा सकती है। उपतहसीलदार व तहसीलदार दोनों ही राजस्व विभाग में है इस कारण क्षेत्राधिकार से बाहर प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया था। दोनों अधिनस्थ न्यायालय ने माना है कि भूमि पर स्थगन आदेश था, किन किला नम्बरों पर स्थगन आदेश नही था, यह भी निर्णय में स्पष्ट नही है फिर भी फसल कुर्क करने व बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। प्रथम न्यायालय का आदेश कतई स्पकिंग नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कथन है कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा हैं तो फिर बिना जांच किए अपीलांट के विरूद्ध कैसे आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का अपीलाधीन भूमि व अन्य भूमि बाबत् नियमन व आवंटन का प्रकरण पूर्व से ही सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष विचारधीन था व विचाराधीन है। फिर भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। स्थगन आदेश दिनांक 29.09.2022 को पेश किया जाता है। उसी दिन निर्णय पारित कर दिया जाता है जो सर्वथा अनुचित है। तहसीलदार सूरतगढ़ की मोहर से पारित निर्णय साईक्लोस्टाईल निर्णय है जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है। निर्णय में अंकित किया गया है। कि नाजायज काश्त इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। जो हास्यास्पद है। अपीलांट का भूमि पर कब्जा काश्त नियमानुसार व वैध है। प्रथम अपील न्यायालय में कानून का अवलोकन किए बिना ही जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ दिनांक 12.08.2024 एवं उपतहसीलदार (तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़) दिनांक 29.09.2022 निरस्त फरमाई जावें तथा अन्य दादरसी मुफीद अपीलांट को प्रदान की जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि चक 2 डीओ–बी के प.न. 4/8 कि न. 1 ता 3, 4/1, 9,10 की 1.505 हैक्टयर भूमि का स्मालपेच आवंटन हेतु उपजिलाधीश आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष आवेदन पेश किया हुआ है। प्रार्थी उक्त वादगत रकबे पर नाजायज काश्त है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार के सबूत पेश नही किए है जिससे साबित हो सके की उक्त वादगत भूमि पर उसका हक है। उपतहसीलदार राजियासर ने समस्त कार्यवाही नियमानुसार की है। अपीलांट एक अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 12.08.20024 यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए उपतहसीलदार राजियासर की प्रक्रिया का अवलोकन किया, जिसमें उपतहसीलदार ने अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिक्रमी को नोटिस अंतर्गत धारा 22 जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलांट को तामील भी हुआ। नोटिस में अपीलांट को वादगत भूमि खाली करने का अवसर भी दिया गया है फिर भी अतिक्रमी ने अतिक्रमण नही हटाया। उप तहसीलदार राजियासर ने आदेश दिनांक 29.09.2022 पारित करने से पूर्व नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया पालन किया गया हैं। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरतगढ़ के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6— तदनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर